

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :-333/2024 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

मुलाराम पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र मनफुल जाति मेघवाल साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
2. सुभाषचन्द्र पुत्र देवीलाल जाति मेघवाल साकिन खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
3. सन्तोष पुत्री देवीलाल पत्नी जगदीश जाति मेघवाल साकिन किशनपुरा कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ
4. कलावती पत्नी राजाराम जाति मेघवाल साकिन चोहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील-वादी

श्री दिनेश भादू वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 5

निर्णय दिनांक- 25/7/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 1 के.के.डी. ए. के खाता स0 43 के प0 न0 32/33 (15) के किला न0 19 , 20 , 22/2, 23/2 की 0.962 है0 प न0 32/35 (34) के किला न0 20, 21 की 0.506 है0 प0 न0 32/36 (45) के किला न0 1/2, 8, 9, 10/2, 11/2, 12, 13, 17 ता 19 , 20/2, 21/3, 22/2 ता 24/2 की 3.466 है0 कुल 4.934 है0 भूमि के वादी व प्रतिवादी सं. 2 को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25/7/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर